	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 28, बुधवार, *शाके* 1944-जनवरी 18, 2023 *Pausa 28, Wednesday , Saka 1944- January 18, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

जयपुर, दिसम्बर 15, 2022

जी.एस.आर.126 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(2)वित्त/कर/2021-21 दिनांक 19.10.2022 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[सं. एफ. 6(2)वित्त/कर/2021-21]

राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 19, 2022

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 9) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 6(2)वित्त/कर/2019-149 दिनांक 30.03.2020, समय-समय पर यथा संशोधित, में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 10 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियां जोडी जायेंगी, अर्थात्:-

"	11	राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी पर्यटन नीति/स्कीम या ग्रामीण पर्यटन नीति/स्कीम में यथा परिभाषित पर्यटन इकाई द्वारा धारित 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि	रूपये 2 प्रति वर्ग मीटर	"

[सं. एफ. 6(2)वित्त/कर/2021-21]
राज्यपाल के आदेश से,

नम्रता वृष्णि,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.